

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260042
SG-DL-E-08012025-260042असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 325
No. 13]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946	[N. C. T. D. No. 325

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIxg %ify l&III% foHkkx
vf/k l puk

दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

Qk-l- 3@02@gLek@2015@xg ify l&II/60-70.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि दिल्ली परिवहन निगम तथा परिवहन विभाग की क्लस्टर बस योजना की सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है;

और जबकि, कर्मचारी जिसमें डीटीसी, डीआईएमटीएस के संविदा एवं आउटसोर्स तथा डीटीसी/क्लस्टर बस योजना के संचालन हेतु तैनात रियायतग्राही शामिल हैं, प्रायः परिवहन सेवाओं को बाधित करने के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे आम जनता को असुविधा और कठिनाई होती है तथा सरकार को भी वित्तीय हानि होती है।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से भी संतुष्ट हैं कि जनहित में, इन कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.07.93 की अधिसूचना सं० जीएसआर 526(ड.) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं० 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के रूप में माना जाए तथा पूर्वोक्त कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आंदोलन को आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलविंदर सिंह, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-III) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th January, 2025

F. 3/02/HESMA/2015/HP-II/60-70.—Whereas, Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the services of Delhi Transport Corporation and Cluster Bus Scheme of the Transport Department are an essential transport service of critical importance for the people of the National Capital Territory of Delhi;

And whereas the employees, including contractual & out-sourced, of DTC, DIMTS and concessionaire deployed for operation of DTC/Cluster bus scheme, often go for strike to disrupt transport services causing inconvenience and hardship to the general public, and also financial loss to the Government;

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/ agitation by these employees.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby orders that the above said services as essential services and prohibits the strike/agitation by the aforesaid employees for a period of six months from the publication of this notification in official Gazette.

By Order and In the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
KULVINDER SINGH, Dy. Secy. (Home)